

2022/02
फर्द अहकाम
(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना

फै- दीपेन्द्र सिंह पुत्र ओनाड सिंह जाति राजपूत निवासी देवराठी, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम


प्रीगण- ओनाड सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी देवराठी, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरह।


मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या.01 सन्-.....2022..

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
-------	------------------------------------	--

2022 प्रार्थी दीपेन्द्र सिंह पुत्र ओनाड सिंह जाति राजपूत निवासी देवराठी, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण ओनाड सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी देवराठी, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरह के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।
स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद देवराठी के खसरा सं0 69, 70, 71, 72, 529/45, 537/44, 389, 534/362 व सरहद थाणु के खसरा सं0 531/387, 535/387 में मौका व राजस्व रेकर्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें।

अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 15.02.2022 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

15/2/22
करीब डायरी उपर
अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश
है। पत्रावली वाकै सरहद देवराठी
15/2/22 को पेश है।




12/9/24

पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक.....को पेश हो।

29/11/24

29/11/24

पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक ~~12/11/24~~ को पेश हो।

12/2/25

पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 19/6/25 को पेश हो।

19/6/25

पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 4/8/25 को पेश हो।

4/8/25

पत्रावली पेश हुई। 3/8/25 को पत्रावली
अनुपस्थित। छार-बाट आवार्थें लगाई गई।
बविपुत्र आवार्थें लगाने के 3/8/25 को पत्रावली
दाखिल नहीं होने पर पत्रावली नष्ट दाखिली
नष्ट पेशवी में पत्रावली की दाखिली केवल
अपार होकर नष्ट के नष्ट हो।

ideas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना